न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, जनपद – मऊ

उपस्थितः बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड़ नं. UP6398

UPMA010036642018

प्रकीर्ण फौजदारी संख्याः 74/2018

******

स्टेट आफ यू.पी. **बनाम** **जगत चौबे व अन्य**

मु.अ.सं. 502/2012
अं. धारा 307, 394, 411 भा.दं.सं.
थाना–कोतवाली, जनपद–मऊ।

दिनांकः 09.06.2026

अभियुक्त/प्रार्थी सुधाकर यादव उर्फ चहेटू की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का वाहन सं. यू.पी. 61 ई-2388 का मुकदमा अ.सं. 502/12 जिसका सत्र परीक्षण सं. 49/2018 सरकार बनाम जगत चौबे आदि अं. धारा 307, 394, 411 भा.दं.सं. थाना-कोतवाली जनपद मऊ में पुलिस द्वारा केस प्रापर्टी बताया जा रहा था, का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2018 को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उक्त वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी है और वह वाहन आज भी थाना कोतवाली मऊ में खड़ी है। लेहाजा उक्त वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.08.2018 को प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत करते हुए संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। दिनांक 01.09.2018 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मऊ श्री शिशिर त्रिवेदी द्वारा इस आशय की आख्या दी गयी कि मुकदमा अ.सं. 502/12 अं. धारा 307, 394, 411 भा.दं.सं. थाना-कोतवाली जनपद मऊ से संबंधित वादन सं. यू.पी. 61 ई- 2388 जो दिनांक 31.05.2012 को थाना स्थानीय पर दाखिल थी। उक्त वाहन को सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सुन्दर लाल अम्बालाल भाई देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात के प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार एक कमेटी बनाकर दिनांक 26.05.2018 को नियमानुसार नीलाम कराकर उच्चतम बोली 11,500/- रुपये प्राप्त कर उक्त धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया गया है।

थाना स्थानीय की उपरोक्त आख्या से यह स्पष्ट है कि कथित वाहन को सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कमेटी बनाकर नियमानुसार उसे निलाम कर दिया गया तथा निलामशुदा धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा करा दिया गया। प्रार्थी सुधाकर यादव उर्फ चहेटू द्वारा उपरोक्त रिलीज प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ दाखिल किया गया है कि उसका प्रश्नगत वाहन आज भी थाना कोतवाली, मऊ में निरुद्ध है। उक्त कथन के साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रश्नगत वाहन को अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है। वर्तमान में प्रश्नगत वाहन नीलाम की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.06.10 09:44:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी राजकीय कोषागार में जमा निलामशुदा धनराशि की प्राप्ति हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तद्नुसार वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/प्रार्थी सुधाकर यादव उर्फ चहेटू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यहीन व निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं. 1, मऊ।